

ऑटोरियो (McGuinty) की नया अधिनियम, 2006 का प्रस्ताव

मैकगुन्टी सरकार बेहतर ढंग से भेदभाव रोकने और शिकायतों को अधिक तेजी तथा कुशलता से हल करने के लिए ऑटोरियो की मानवाधिकार प्रणाली को आधुनिक और मजबूत बना रही है। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम, 2006 (बिल 107), ऑटोरियो में 44 वर्ष पहले सृजित होने के बाद, मानवाधिकार प्रणाली में अब तक के सबसे बड़े परिवर्तन लाएगा। यह ऑटोरियो में मानवाधिकार के प्रोत्साहन, विकास और प्रवर्तन में सुधार करेगा।

सुधार प्रक्रिया, जो 1992 की कोर्निश रिपोर्ट सहित, कई रिपोर्टों की सिफारिशों की एकरूपता के तहत इस प्रांत में जनसेवाओं में सुधार और मानवाधिकारों को उन्नत बनाएगी।

मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006, के अंतर्गत, ऑटोरियो के मानवाधिकार अधिकरण में सीधे दाखिल किए जाने योग्य व्यक्तिगत दावों सहित नई शिकायत प्रक्रिया लागू की जाएगी।

अधिकरण में, समयबद्ध और आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर उनकी योग्यता के आधार पर अधिक तेज और अधिक खुली समाधान प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी। संगठनों को पहली बार, दूसरे की तरफ से आवेदन करने की अनुमति होगी, और दावा करने की समाप्ति-अवधि एक वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी। अधिकरण में न्यायकर्ता, मानवाधिकार विशेषज्ञ होंगे और उन्हें पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ऑटोरियो मानवाधिकार आयोग को किसी भी मामले में जांच का अधिकार, यदि यह समझा जाता है कि यह जनहित में है, और अधिकरण के समक्ष पेश किसी भी आवेदन में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। यह कानून आयोग को अधिकरण के समक्ष अपने स्वयं के आवेदन पेश करने की अनुमति भी देगा।

यह आयोग ऑटोरियो के लोगों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगा और इसे जरूरी लगने वाली अन्य कोई रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार होगा। आयुक्तों के लिए पहली बार मानवाधिकारों में विशेषज्ञता और ऑटोरियो की विविधता के बारे में विचार व्यक्त करना जरूरी होगा।

यह अधिनियम, अधिकरण में किए जाने वाले आवेदनों के सभी पहलुओं से संबंधित कानूनी और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए कम लागत पर और प्रांतभर में फैली कार्यकुशल प्रणाली के संचालन हेतु लोक निधिकृत और लोक जवाबदेह, एक नया कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करेगा। इसका तात्पर्य आवेदकों को प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक अधिकरण के आदेश लागू करने सहित सेवा और सहायता देना होगा।

अन्य न्यायिक पहलों तक पहुंच

सरकार ने बेहतर खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित करते हुए ऑटोरियो की न्यायप्रणाली तक पहुंच को आधुनिक बनाने और इसमें सुधार के लिए कई अन्य पहल लागू की हैं। इन पहलों में शामिल हैं:

- बिल 14, न्याय अधिनियम तक पहुंच, को पारित करना जो:
 - अधिकानूनों को नियंत्रित करता है

- शांति अधिनियम के न्याय में संशोधन करता है
 - प्रांतीय अपराध अधिनियम में संशोधन करता है
 - ऑंटेरियो के अध्यादेश और विनियमों की व्याख्या तथा प्रचार के लिए नियमों को आधुनिक बनाते हुए कानूनी अधिनियम सृजित करता है
 - सीमा अधिनियम में संशोधन करता है
 - न्यायालय अधिनियम में संशोधन करता है
- विचार हेतु मामले लेने में लगने वाला समय कम करने के लिए 61 जज, 45 शांति जजों और अतिरिक्त अदालती कर्मचारियों को नियुक्त करना। सरकार ने 64 क्रॉउन भी नियुक्त किए हैं जो गन्स एंड गैंग्स टास्क फोर्स को समर्पित होंगे। साथ ही, जजों, जो ऑंटेरियो न्यायालय में पारिवारिक और बच्चों की सुरक्षा के मामलों पर सुनवाई करते हैं, को बढ़ाकर 6 कर दिया गया है।
 - ऑंटेरियो के स्वतंत्र और आधुनिक विधि आयोग की पुनःस्थापना करना, जो न्याय प्रशासन में सुधार और न्याय तक पहुंच में प्रगति कैसे हो, पर सिफारिशें तैयार करेगा।
 - बिल 103, स्वतंत्र पुलिस समीक्षा अधिनियम, 2006, पेश करना, जो यदि पारित होता है तो ऑंटेरियो में पुलिस समीक्षा प्रणाली की व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र नागरिक निकाय सृजित करेगा।
 - ऑंटेरियो कानूनी सहायता निधि को 2006/07 में 13 मिलियन डॉलर तक बढ़ाना। अक्टूबर 2003 से मैकगुन्टी सरकार ने मूल निधि में 10 प्रतिशत, अथवा 25 मिलियन डॉलर तक की वृद्धि की है।
 - मीडिया और जनता के लिए न्याय प्रणाली में खुलापन बढ़ाने, सूचना तक बेहतर पहुंच को प्रोत्साहित करने और न्याय भागीदारों तथा मीडिया को शिक्षा सहयोग के लिए नई नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाना।
 - समुदाय में जन-हितैषी कार्य हेतु सरकारी वकीलों के लिए नई युक्तियों की खोज हेतु एक जन-हितैषी कार्यबल की स्थापना करना। इसमें स्कूल-गोद-लें परियोजना शामिल है, जिसमें वकील हाई स्कूल के अध्यापकों को कानून तथा नागरिक-शास्त्र की कक्षाएं लेने में मदद करते हैं।
 - बिल 27, पारिवारिक अध्यादेश कानून संशोधन अधिनियम, जो सुनिश्चित करता है कि सभी पारिवारिक कानून मध्यस्थताओं का संचालन ऑंटेरियो और कनाडा के कानून द्वारा हो।

- 30 -

संपर्क सूत्र:
 ब्रेनडन क्रॉले (Brendan Crawley)
 अटॉर्नी जनरल मंत्रालय (Ministry of the Attorney General)
 संचार शाखा (Communication Branch)
 (416) 326-2210

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca

सामान्य टेलीफोन पूछताछ: 416-326-2220 अथवा 1-800-518-7901

दृष्टिहीन व्यक्ति इस दस्तावेज का मूल पाठ सुनने के लिए
उपरोक्त फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं
टीटीवाई: 416-326-4012

इस दस्तावेज का 14 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
 ये अनुवाद शीघ्र ही www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca पर उपलब्ध होंगे।